भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1801

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

अवैध खनन के कारण कोयला क्षेत्र में दुर्घटनाएँ

1801. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान अवैध कोयला खनन के कारण हुई भूस्खलन, भू-धंसाव या विस्फोट की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) असुरक्षित खनन पद्धतियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय क्षति के लिए अवैध संचालकों को उत्तरदायी ठहराने हेतु उत्तरदायित्व संबंधी ढाँचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीतियों का लाभ प्रभावित आबादी, विशेष रूप से खनन प्रभावित आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों तक क्यों नहीं पहुँच पाया है;

(घ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार जैसी मौजूदा नीतियों को खनन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए;

(ङ) अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपग्रह निगरानी, ड्रोन, एआई-आधारित निगरानी जैसी तकनीकों का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किस प्रकार किया जाए; और

(च) अवैध कोयला खनन की निगरानी और रोकथाम के लिए जिम्मेदार केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उनके बीच समन्वय को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : अवैध खनन मुख्यतः कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, जो संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) : दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय क्षति के लिए अवैध खनन प्रचालकों को जिम्मेदार ठहराने हेतु उत्तरदायित्व संबंधी ढाँचा मुख्य रूप से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) के साथ-साथ अन्य लागू पर्यावरणीय एवं दंडात्मक कानूनों द्वारा अभिशासित होता है। एमएमडीआर अधिनियम राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

(ग) : सीआईएल की सहायक कंपनियां कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए अधिकांशत: कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण करती हैं। ऐसे मामलों में, भूमि और परिसंपत्ति का मुआवजा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है, जबकि आर एंड आर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दिए जाते हैं और नए पुनर्वास स्थल में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची के अनुसार होती हैं। सीआईएल की आर एंड आर नीति, 2012 भी पात्र पीएएफ को आर एंड आर लाभ प्रदान करती है। पीएएफ को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के तहत बेहतर मुआवजा और आर एंड आर लाभ प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाता है। प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियमों और नीतियों के प्रावधानों के तहत रोजगार सहित आर एंड आर लाभ प्रदान किए जाते हैं।

(घ) : भूमि अधिग्रहण और कब्जे से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उठाई गई मांग के भुगतान के लिए कोयला कंपनियों द्वारा राज्य प्राधिकरण के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ड.) और (च) : अवैध कोयला खनन और चोरी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए, सीआईएल की सहायक कंपनियों के कमान क्षेत्रों के भीतर व्यापक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें डिजिटल निगरानी उपकरणों का उपयोग, कानून लागू करने में सक्रिय समन्वय और समर्पित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करना शामिल है।

अवैध कोयला खनन की निगरानी और इसका पता लगाने के तरीकों में से एक है सीएमएसएमएस (कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली) और खनन प्रहरी मोबाइल ऐप, जहाँ आम जनता अवैध खनन के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। "खनन प्रहरी" ऐप और कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) का उपयोग सार्वजनिक रिपोर्टिंग और रियल-टाइम निगरानी को सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। सीएमएसएमएस के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का सत्यापन राज्य प्राधिकरणों और नामित नोडल अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

उठाए जा रहे प्रमुख निवारक कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कार्यनीतिक स्थानों और चैक-पोस्टों पर विभागीय कार्मिकों, सीआईएसएफ, राज्य औद्योगिक सुरक्षा इकाइयों और निजी एजेंसियों सहित **सुरक्षा बलों की तैनाती।**

- स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर कार्रवाई के साथ अवैध खनन स्थलों पर **डोजिंग और भराई।**

- अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए सुरक्षा दलों द्वारा **नियमित गश्त और अचानक छापे मारे जाते हैं**, जिनमें अक्सर पुलिस भी शामिल होती है।

- **निगरानी प्रणालियों की संस्थापना**, जिनमें हजारों सीसीटीवी कैमरे, कोयला परिवहन वाहनों और खनन मशीनरी पर जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण, तथा प्रवेश/निकास बिंदुओं पर आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर शामिल हैं।

- संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए **ड्रोन आधारित निगरानी** शुरू की गई है या इसका प्रयोग किया गया हैं।

- जिला प्राधिकारियों की अध्यक्षता में कोयला कंपनियों और स्थानीय पुलिस की भागीदारी के साथ **जिला कार्य बलों के साथ समन्वय**, जहां समय-समय पर समीक्षा और संयुक्त कार्रवाई की जाती है।

- **सामुदायिक सहभागिता**, जिसमें साइनबोर्ड, नोटिस चिपकाने तथा अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों के माध्यम से आस-पास के गांवों में जागरूकता अभियान चलाना शामिल है।

- जहां भी ऐसी गतिविधियां पाई जाएं, **अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को तत्काल जब्त करना** तथा पकड़े गए शरारती तत्वों को पुलिस के हवाले करना।

****